संख्या– 477 / XXIV–नवसृजित / 15–32(01) / 2013टी0सी0–4

प्रेषक,

डा0एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांक 06 जुलाई, 2015

विषयः– उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु संशोधित समय सारणी का निर्धारण विषयक।

DD-2
6/7/15

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–87 / XXIV–नवसृजित / 2015–32(01) / 13 दिनांक 03.03.2015 एवं संख्या–290 / XXIV –नवसृजित / 2015–32(01) / 13 टी0सी0–4 दिनांक 27.05.2015 द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु समय सारणी का निर्धारण की अनुमति प्रदान की गयी थी। किन्तु कतिपय कारणों से उक्त समय सारणी अनुसार शिक्षकों की वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया उक्तानुसार निर्धारित समय पर सम्पन्न नहीं की जा सकती है। अतः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–प्रा0शि0–सेवा(2) / 9217 / स्थानान्तरण –2015 / 2015–16 दिनांक 28.06.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 के नियम–27 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु अनिवार्य, अनुरोध एवं अर्न्तमण्डलीय स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार संशोधित समय सारणी निर्गत की जाती हैः–

क्र0 सं0	शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण के विक्रयान्वयन हेतु गतिविधि	निर्धारित तिथि	क्रियान्वयन हेतु अधिकृत अधिकारी
1	a. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र प्र0अ0 / स0अ0 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनवार्य स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना। b. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) द्वारा मण्डलान्तर्गत पात्र स0अ0एल0टी0 तथा प्रवक्ता के अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना।	06 जुलाई, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)।
2	a. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) द्वारा पात्र प्र0अ0 / स0अ0 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना। b. मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) द्वारा मण्डलान्तर्गत पात्र स0अ0एल0टी0 तथा प्रवक्ता के अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना। c. मण्डलीय अपर निदेशक, (प्रा0शि0) द्वारा मण्डलान्तर्गत पात्र स0अ0प्राथमिक विद्यालय के मण्डलान्तर्गत एक जनपद से दूसरे जनपद में अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना।	13 जुलाई, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)। 3. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0)।

3	मुख्यालय के अपर निदेशक, (मा0शि0) द्वारा पात्र सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं प्रवक्ता तथा अपर निदेषक (प्रा0शि0) द्वारा पात्र स0अ0 प्राथमिक विद्यालय के अनुरोध के आधार पर अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण आदेश निर्गत।	**20 जुलाई, 2015 तक**	1. प्रारम्भिक शिक्षा में अपर निदेशक (प्रा0शि0) मुख्यालय 2. माध्यमिक शिक्षा में अपर निदेशक (प्रा0शि0) मुख्यालय

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0एम0सी0 जोशी)
सचिव

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून।

सेवा में,

1. **मण्डलीय अपर निदेशक**
प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
2. **जिला शिक्षा अधिकारी**
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक : प्रा0शि0–शि0सेवा(2)/ 7041-46 /स्था0पत्रा0–2015/2015–16 दिनांक: 6 जुलाई, 2015

विषय : उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली–2013 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी संशोधन विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–477/XXIV–नवसृजित/2015–32(01)/13 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली–2013 के नियम–27 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण के समय सारिणी को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

अतः शासनादेश की प्रति संलग्न कर कर इस आशय से प्रेषित है कि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय
6/7/15
(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ0सं0 : प्रा0शि0–शि0सेवा(2)/ 7041-46 /स्था0पत्रा0–2015/2014–15 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनु सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को इस आशय से कि अनुमोदित समय सारिणी एवं नियमावली को को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(सीमा जौनसारी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।